FAX

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17 संविदा नियोजन – 79 / 2012....................

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा, भा०प्र०से०
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता,
नालन्दा / सारण / भागलपुर / मुंगेर / शेखपुरा / बेगूसराय / लखीसराय / खगड़िया / जमुई / सीवान / पूर्णियाँ / कटिहार एवं मोतीहारी।
उप निदेशक / सहायक निदेशक (प्रावैधिकी),
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना–7

पटना, दिनांक :–

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में सविदा पर नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में बिहार के सम्पूर्ण जिलों में भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण करने के कार्यक्रम को तीन वर्षों की अवधि में पूरा किये जाने का उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में नये बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार पद सृजित की गई है जिसे संविदा पर नियोजन के आधार पर प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद द्वारा पद सृजन के उपरान्त संविदा पर नियोजन नियमावली के प्रारूप पर विधि विभाग का विधिज्ञ राय प्राप्त कर सहमति हेतु वित्त विभाग भेजी गई है। यह योजना कृषि रोड मैप के अन्तर्गत तीन वर्षो में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।

राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के विभिन्न पदों पर संविदा के नियोजन हेतु तीव्रता लाने के उद्देश्य से संविदा पर नियोजन के पदों का पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए समेकित रूप से विज्ञापन निकाला गया एवं अमीन के पद हेतु प्राप्त आवेदनों का डाटा बेस तैयार करा कर सूची सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है। संविदा नियोजन हेतु पदों का आवंटन बन्दोबस्तवार प्रथम चरण में 13 बंदोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 17415 दिनांक 20.12.12 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन करने का निर्णय को अक्षूण रखा गया है।

चूँकि भू–अद्यतीकरण एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम तीन वर्षों के समयबद्ध अवधि में पूरा किया जाना है। लक्ष्य के अनुसार काफी मात्रा में राजपत्रित/अराजपत्रित बलों की आवश्यकता को देखते हुए **सेवानिवृत्त कर्मियों को अविलम्ब संविदा नियोजन कर लिया जाए** साथ ही योग्य आवेदकों की सूची (पैनल) संवर्गवार तैयार कर ली जाए तथा उनसे उजरत (कार्य के बदले पारिश्रमिक) के आधार पर अमीन एवं सफाई मोहर्रिर का कार्य लिया जाए ताकि कार्य में बाधा नहीं हो। संबंधित अभ्यर्थीयों से पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु एक लिखित सहमति (Under Taking) प्राप्त कर ली जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :– – 17 संविदा नियोजन – 79/2012.................... **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :– – 17 संविदा नियोजन – 79/2012-178.......... **पटना, दिनांक** :– 30/01/2013

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.13
(प्रशाखा पदाधिकारी)
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।